[2020] 4 उम. नि. प. 228

चंद्रकांता तिवारी

बनाम

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और एक अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 2527]

8 जून, 2020

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 163क – अधिनियम की अनुसूची 2 में दिए गए संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर का दावा – दावेदार के पुत्र की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाना – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाना – अपील न्यायालय द्वारा प्रतिकर के दावे को खारिज किया जाना – जहां प्रतिकर का दावा संरचना सूत्र के आधार पर किया गया हो, वहां दावेदार को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी और यह भी सुसंगत नहीं है कि बीमित व्यक्ति अवश्य ही यान का ड्राइवर होना चाहिए, अपितु उस यान को चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सवारी कर रहा हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप यान चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई थी ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि दावेदार को यह अभिवचन करने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु, जिसकी बाबत दावा किया गया था, यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, यह सुसंगत नहीं है कि बीमित व्यक्ति अवश्य ही यान का ड्राइवर होना चाहिए, अपितु उस यान को चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सवारी कर रहा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यान चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई

थी । अत: उच्च न्यायालय का यह कहना स्पष्ट रूप से गलत है कि धारा 163क के अधीन यह साबित करना आवश्यक था कि कोई अन्य व्यक्ति उस यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी । इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि जहां तक इस मामले में चालन अनुज्ञप्ति होने के पहलू का संबंध है, इस पहलू को बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष पूरी तरह से त्याग दिया गया था, किंतु फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार को अनुतोष देने का हकदार न होने के लिए इसका उपयोग किया गया था । इस न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय को इस तथ्य को छोड़कर प्रत्यावर्तित करना होगा कि गुणांक में स्पष्ट गलती है । अब जो रकम संदत्त करनी होगी वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय में उल्लिखित रकम इस शुद्धि के साथ होगी कि गुणांक 8 की बजाय अब 17 है । ब्याज की दर भी उतनी ही रहेगी । (पैरा 12, 13, 14 और 16)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 2527.

2010 के आदेश सं. 10 से उद्भूत अपील में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के तारीख 28 दिसम्बर, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एन. के. साहू और नरेश कुमार
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री अंशुम जैन और रामेश्वर प्रसाद गोयल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन– इजाजत दी गई ।

2. तारीख 18 मार्च, 2004 को एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें दावेदार के पुत्र की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो अभिकथित रूप से एक पिछली सवारी था । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देहरादून साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना प्रत्यर्थी सं. 2, जो मोटर यान का स्वामी था और जो

पूर्वोक्त मोटर यान को चला रहा था, के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण हुई थी । आहत व्यक्ति की आयु 28 वर्ष थी । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि 3,000/- रुपए प्रति माह का वेतन पर्याप्त होगा और एक-तिहाई की कटौती करके तथा दावेदार की आयु के आधार पर 8 का गुणांक लेते हुए अंततः बीमा कंपनी को कुल 1.99 लाख रुपए + उस पर 6 प्रतिशत ब्याज के लिए दायी ठहराया ।

3. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर, 2016 के आक्षेपित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बीमा कंपनी ने इस बात से इनकार किया था कि मृतक एक पिछली सवारी नहीं था और यह कहा था कि वास्तव में वह स्वयं यान चला रहा था और यह भी कि चूंकि दावेदार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी तथा चूंकि श्री विरेन्द्र बिजालवन, प्रत्यर्थी सं. 2 को बुलाया जाना चाहिए था क्योंकि वह भी एकमात्र जीवित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, इसलिए उसको एक साक्षी के रूप में न बुलाना दावे के लिए घातक साबित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन याचिका खारिज की जानी चाहिए थी । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया था कि मृतक के पास एक विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, अपील मंजूर की गई और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय को अपास्त कर दिया गया था ।

4. याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री एन. के. साहू ने यह दलील दी कि याचिका धारा 163क के अधीन फाइल किए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि दायित्व 'दोष के बिना' है जिसके परिणामस्वरूप यान के ड्राइवर की उपेक्षा या किसी उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक यान चलाने की बात को साबित करना आवश्यक नहीं है । उन्होंने यह भी दलील दी कि 8 का गुणांक स्पष्ट रूप से गलत है । चूंकि यह दावेदार की आयु के आधार पर लिया गया था न कि आहत

की आयु के आधार पर और यह कहा कि चूंकि आहत की आयु केवल 28 वर्ष थी, इसलिए गुणांक 17 होना चाहिए था । उन्होंने यह भी दलील दी कि जब मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दावेदार की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के आधार पर तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया था, तब उच्च न्यायालय ने दावेदार पर भार डालकर गलत किया था । इसके अतिरिक्त, विवाद्यक सं. 2 और 3 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की बात को बीमा कंपनी द्वारा त्याग दिया गया था किंतु उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को विचार में लिया गया था ।

5. बीमा कंपनी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अंशुम जैन ने उच्च न्यायालय के निर्णय को दोहराया और यह भी दलील दी कि धारा 163क के अधीन दोष के बिना दायित्व एक लाख रुपए तक सीमित है । इसलिए सुसंगत समय पर यदि हमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय को कायम रखना पड़े, तो भी इस मामले के तथ्यों के आधार पर अधिकतम जो राशि अधिनिर्णीत की जा सकती है वह एक लाख रुपए है ।

6. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हम केवल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश का निम्नलिखित उद्धरण देना चाहेंगे :–

> "13. विरोधी पक्षकार सं. 2 अर्थात् बीमा कंपनी की ओर से अभि. सा. 1 श्रीमती चंद्रकांता तिवारी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी और विरोधी पक्षकार सं. 1 की ओर से उसकी प्रतिपरीक्षा करने के लिए कोई भी उपसंजात नहीं हुआ था । विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से जो भी प्रतिपरीक्षा की गई थी, पुन: यह साबित किया गया था कि मृतक पिछली सवारी था और विरोधी पक्षकार सं. 1 दुर्घटना के समय दुर्भाग्यपूर्ण यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चला रहा था, जिसके कारण मृतक को गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और परिणामस्वरूप घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी ।

14. यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि इस विवाद्यक पर या विवाद्यक सं. 2 पर विरोधी पक्षकारों में से किसी के द्वारा भी खंडनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, यद्यपि उन्होंने अपने लिखित कथन में अन्यथा अभिवचन किए हैं, इसलिए विरोधी पक्षकारों में से किसी के द्वारा अभिलेख पर यह साबित नहीं किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक यान को चला रहा था, यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 के लिखित कथन के अनुसार, उसे स्वयं इस दुर्घटना में क्षतियां पहुंची थीं और उसने दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान की बात को भी स्वीकार किया है, इसलिए वैध रूप से उस पर यह आबद्धकर था कि वह अधिकरण के समक्ष अपने मामले को साबित करे, क्योंकि यह स्पष्ट करने के लिए कि यह दुर्घटना कैसे घटित हुई थी, वह ही सर्वोत्तम व्यक्ति था किंतु, चूंकि विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए अभि. सा. 1 के माध्यम से दावेदारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

15. स्वीकृत रूप से, यह याचिका मोटर यान अधिनियम की धारा 163क के अधीन फाइल की गई है, इसलिए वैध रूप से दावेदारों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कृत्य को साबित करें और ऐसी याचिका में दावेदारों से वैध रूप से यह अभिवचन करने या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि मृत्यु, जिसकी बाबत दावा किया गया है, यान के स्वामी, ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी और ऐसी याचिका में यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता प्रतिकर का संदाय करने के लिए वैध रूप से दायी है ।"

7. जहां तक विवाद्यक 3 और 4 का संबंध है, वे निम्नलिखित प्रकार से हैं :–

"3. क्या दुर्घटना के समय मृतक के पास एक विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति थी या नहीं ?

4. क्या दुर्घटना के समय विरोधी पक्षकार सं. 1 के पास एक विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति थी या नहीं ?"

8. अधिकरण ने फिर पैरा 17 में यह अभिलिखित किया कि दोनों विरोधी पक्षकारों ने बहस के दौरान इन विवाद्यकों पर जोर नहीं दिया था ।

9. अंतत:, इस बात पर विचार करते हुए कि मृतक की आयु 28 वर्ष थी और उसकी आय को साबित नहीं किया गया है, उसकी आय 36,000/- रुपए वार्षिक ली गई थी और एक तिहाई घटाने पर 24,000/- रुपए वार्षिक बनी थी । दावेदार की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए 8 का गुणांक लिया गया था और तद्नुसार 1,92,000/- रुपए की राशि बनी थी । इसके अतिरिक्त, 2,000/- रुपए अंत्येष्टि खर्चों के रूप में, 5,000/- रुपए दांपत्य सम्बन्धों की हानि के रूप में दिए गए थे, जो कुल 1,99,000/- रुपए इस याचिका के फाइल करने की तारीख से वास्तविक संदाय की तारीख तक इस रकम पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के साथ बने थे ।

10. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा बीमा कंपनी की अपील यह मत करते हुए मंजूर की कि दावेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण उसे घटना के बारे में, जो घटी थी, संभवत: साक्ष्य नहीं दे सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप धारा 163क के अधीन याचिका खारिज की जानी चाहिए थी । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं लाया गया था कि मृतक के पास एक विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति थी । अत: यह बात भी मामले को बीमा पालिसी से बाहर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह अपील इस आधार पर भी मंजूर किए जाने योग्य है ।

11. धारा 163क निम्नलिखित है :–

"163क. संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध – (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या

प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'स्थायी नि:शक्तता' का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन-निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।"

12. इस उपबंध के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि श्री साहू का यह कहना सही है कि दावेदार को यह अभिवचन करने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु, जिसकी बाबत दावा किया गया था, यान के स्वामी या <u>किसी अन्य व्यक्ति</u> की किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

13. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, यह सुसंगत नहीं है कि बीमित व्यक्ति अवश्य ही यान का ड्राइवर होना चाहिए, अपितु भली-भांति उस यान को चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सवारी करने वाला हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यान चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । अत: उच्च न्यायालय का यह कहना स्पष्ट रूप से गलत है कि धारा 163क के अधीन यह साबित करना आवश्यक था कि कोई

अन्य व्यक्ति उस यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी ।

14. इसके अतिरिक्त, जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, यह भी स्पष्ट है कि जहां तक इस मामले में चालन अनुज्ञप्ति होने के पहलू का संबंध है, इस पहलू को बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष पूरी तरह से त्याग दिया गया था, किंतु फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार को अनुतोष देने का हकदार न होने के लिए इसका उपयोग किया गया था ।

15. एक लाख रुपए का अधिकतम दायित्व होने के आधार पर दी गई दलील पर आते हैं । यह दलील सभी निचले न्यायालयों के समक्ष कभी नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप हम बीमा कंपनी को इस प्रक्रम पर पहली बार हमारे समक्ष इस बिंदु को उठाने के लिए अनुज्ञात नहीं करते हैं ।

16. हमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय को इस तथ्य को छोड़कर प्रत्यावर्तित करना होगा कि गुणांक में स्पष्ट गलती है, जैसा कि श्री साहू द्वारा बताया गया है । अब जो रकम संदत्त करनी होगी वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय में उल्लिखित रकम इस शुद्धि के साथ होगी कि गुणांक 8 की बजाय अब 17 है । ब्याज की दर भी उतनी ही रहेगी । परिणामस्वरूप, यह अपील मंजूर की जाती है । बीमा कंपनी हमारे निर्णय के अनुसार दावेदार को देय रकम आज से तीन माह की अवधि के भीतर संदाय करेगी ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.